



उ० प्र० सरकार का उपक्रम

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, 220 क० वी० विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-282007)

CIN: U31200UP2003SGC027460 | E-mail: tds.gstdvvn1@gmail.com

GSTIN: 09AACCD0695D1ZS

पत्रांक- /द० वि० वि० नि० लि० /आगरा/टीडीएस-जीएसटी

दिनांक /11/2018

कार्यालय ज्ञाप

जैसा कि अवगत है कि केन्द्रीय जीएसटी अधिनियम-2017 की धारा-51 (TDS-GST) के प्रावधान निम्न पर दि० 01.10.2018 से लागू हैं, अर्थात् निम्न के द्वारा भुगतान करने पर TDS (GST) की कटौती किये जाने हेतु प्रावधान है:

- (a) a department or establishment of the Central Govt. or State Govt. ; or | (b) local authority; or | (c) Governmental agencies; or (d) such persons or category of an authority or a board or any other body, -
(i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or
(ii) established by any Government, with 51% or more participation by way of equity or control, to carry out any function;
(e) Society established by the Central Government or the State Government or a Local Authority under the Societies Registration Act, 1860.
(f) Public Sector Undertaking (PSU)

इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन सं०-61/2018-Central Tax Dated 05.11.2018 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किसी भी PSU के द्वारा किसी अन्य PSU को भुगतान के समय TDS (GST) नहीं काटा जायेगा। चूँकि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड PSU के अन्तर्गत आता है। अतः कार्यालय ज्ञाप सं० 7020/द० वि० वि० नि० लि० /आगरा/टीडीएस-जीएसटी दि० 27.09.2018 द्वारा 2 प्रतिशत TDS (GST) सम्बन्धी जारी किये गये दिशा-निर्देश के अनुक्रम में निम्नवत् आदेशित किया जाता है:

Public Sector Undertaking द्वारा Public Sector Undertaking को भुगतान के समय TDS (GST) नहीं काटे जाने के सम्बन्ध में:

अतः निगम अधीन समस्त इकाईयों द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि उनके द्वारा PSU को भुगतान करते समय TDS (GST) नहीं काटा जाये तथा किसी अन्य PSU से प्राप्त होने वाले भुगतानों में निगम का TDS (GST) नहीं काटा जाये।

अन्यों के द्वारा निगम का TDS (GST) काटे जाने पर लेखांकन, मासिक विवरणी एवं समायोजन के सम्बन्ध में निम्नवत् आदेशित किया जाता है:

यदि इकाई द्वारा 2.50 लाख से अधिक की Taxable Goods/Services (e.g. Deposit Work, Scrap Sale, etc.) की सप्लाई उपरोक्त बिन्दु सं० (a), (b), (c), (d) व (e) में से किसी को की गयी है/दी जाती है तथा उनसे प्राप्त होने वाले धनराशि में उनके द्वारा 2% TDS (GST) की कटौती की गयी है/जाती है, तो उस समय TDS (GST) का लेखांकन इकाईयों द्वारा कर लिया जाये। **उदाहरणस्वरूप** → लेखांकन हेतु लेखाशीर्ष 27.4401 (SGST-TDS Receivable), 27.4402 (CGST-TDS Receivable) एवं 27.4403 (IGST-TDS Receivable) आवंटित किये जाते हैं।

| इकाई द्वारा निर्गत किये गये टैक्स इनवॉइस करते समय | धनराशि (₹) |
|--|-------------------------|
| इकाई द्वारा निर्गत किये गये टैक्स इनवॉइस में Taxable Value | 3,00,000 |
| + 9% SGST (लेखाशीर्ष 46.94101 में क्रेडिट) | 27,000 |
| + 9% CGST (लेखाशीर्ष 46.94102 में क्रेडिट) | 27,000 |
| इकाई द्वारा निर्गत किये गये टैक्स इनवॉइस की धनराशि | 3,54,000 |
| बिन्दु सं० (a), (b), (c), (d) व (e) द्वारा काटी गयी 2% TDS (GST) (लेखाशीर्ष 27.4401 (SGST TDS- Receivable) में डेबिट ₹ 3000) (लेखाशीर्ष 27.4402 (CGST TDS- Receivable) में डेबिट ₹ 3000) | 6,000 (2% of Rs 300000) |
| बिन्दु सं० (a), (b), (c), (d) व (e) द्वारा काटी गयी 2% TDS (Income-Tax) (लेखाशीर्ष 27.425 में ₹ 6000) - (पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत यथावत्) | 6,000 (2% of Rs 300000) |
| इकाई को प्राप्त धनराशि (Rs. 354000-6000-6000) | 3,42,000 |

बिन्दु सं० (a), (b), (c), (d) व (e) द्वारा उनका GSTR-7 दाखिल किये जाने के पश्चात् <https://gst.gov.in> पर निगम के GSTIN पर उनके द्वारा की गयी कटौती की धनराशि प्रदर्शित होगी। कटौती का लाम सम्बन्धित इकाई को आगामी माह में लेखाशीर्ष 46.94101/02/03 की कर-देयता में मिलेगा, जिसके लिए इकाईयों द्वारा मासिक विवरणी जीएसटी प्रकोष्ठ को निम्न प्रारूप में Excel में भरकर सम्बन्धित माह की समाप्ति के बाद 3 तारीख तक tds.gstdvvn1@gmail.com पर प्रेषित की जाये:-

| SL. No. | Tax Invoice No. | Tax Invoice Date | Govt. Department Name | Govt. Department GSTIN | Amount on which tax is deducted by above Department | Amount of Tax Deducted at Source (TDS) | | | Date of Receipt of Payment |
|---------|---|------------------|--|------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | 27.4403 IGST-TDS Receivable | 27.4402 CGST-TDS Receivable | 27.4401 SGST-TDS Receivable | |
| | इकाई द्वारा निर्गत किये गये टैक्स इनवॉइस सं० व दिनांक | | जिस विभाग द्वारा कटौती की गयी है। उसका नाम एवं GSTIN | | इकाई द्वारा निर्गत किये गये टैक्स इनवॉइस में Taxable Value के बराबर होनी चाहिए। | कटौती की गयी धनराशि (2%) | कटौती की गयी धनराशि (1%) | कटौती की गयी धनराशि (1%) | सामान्यतः यह Tax Invoice Date होगी। |

उपरोक्त विवरणी के आधार पर निगम के GSTIN पर प्रदर्शित हो रही कटौतियों का मिलान जी०एस०टी० प्रकोष्ठ द्वारा किया जायेगा। मिलान होने पर ही अगले माह, कटौती के लाम का समायोजन, सम्बन्धित इकाई की कर-देयता से करके, शेष धनराशि का चालान जनरेट किया जायेगा। समायोजन होने पर इकाई द्वारा लेखों में आवश्यक लेखांकन (सम्बन्धित लेखाशीर्ष 46.94101/02/03 डेबिट व सम्बन्धित 27.4401/02/03 क्रेडिट) कर लिया जाये।
संलग्नक : यथोपरि।

(एस० के० वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 8043/द० वि० वि० नि० लि० /आगरा/जीएसटी/दिनांक 29/11/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक (वित्त/तकनीकी/वाणिज्य/का० प्र० एवं प्रशा०), द० वि० वि० नि० लि०, आगरा।
- समस्त मुख्य अभियन्ता, द० वि० वि० नि० लि० को इस आशय से भी प्रेषित कि अनुश्रवण कर अधीनस्थ इकाईयों से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
- उप महाप्रबन्धक (IPDS/RGGVY 12th Plan/DDUGJY/Saubhagya), द० वि० वि० नि० लि०, आगरा।
- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, द० वि० वि० नि० लि० को इस आशय से भी प्रेषित कि अनुश्रवण कर अधीनस्थ इकाईयों से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, द० वि० वि० नि० लि०।
- समस्त अधिशासी अभियन्ता/आहरण एवं वितरण अधिकारी, द० वि० वि० नि० लि०।

संलग्नक : यथोपरि।

(एस० के० वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक